दिनांक 21.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 22/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश पुलिस पेन्शनर्स कल्याण संस्थान कक्ष का उद्घाटन किया गया

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 21.03.2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस पेन्शनर्स की सुविधा के दृष्टिगत पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग) में उत्तर प्रदेश पुलिस पेन्शनर्स कल्याण संस्थान कार्यालय का शुभारम्भ किया गया।

इस अवसर पर उ0प्र0 पुलिस पेन्शनर्स कल्याण संस्थान के महासचिव श्री आर0के0 चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, सचिव प्रथम श्री श्यामपाल सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, सचिव द्वितीय श्री महेन्द्र त्रिपाठी, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारीगण/रिटायर्ड पुलिसकर्मी व अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के जीएसओ एंव पीएचक्यू के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं बैंक आफ बडौदा के मध्य पी0एस0पी0 के सम्बन्ध में हुआ अनुबन्ध (MoU)

पुलिस कर्मचारियों के सैलरी एकाउण्ट में पी0एस0पी0 (पुलिस सैलरी पैकेज) के अन्तर्गत बैंक द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सुविधाओं/ लाभों हेतु भारतीय स्टेट बैंक से वर्ष 2016 एवं 2019 में एम0ओ0यू0 किया गया था, जिसमें कतिपय लाभ दिये जा रहे थे। वर्ष 2023 में पी0एस0पी0 मे देय लाभों में वृद्धि करने हेतु एवं स्वाभाविक मृत्यु की दशा में भी जीवन बीमा सम्बन्धी लाभ दिये जाने हेतु सभी बैंकों से विचार–विमर्श करने के उपरान्त सर्वाधिक लाभकारी पी0एस0पी0 प्रस्ताव बैंक आफ बडौदा से प्राप्त होने के फलस्वरूप सक्षम स्तर से इसके अनुमोदन के उपरान्त आज दिनांक 21 मार्च 2023 को **श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की गरिमामयी उपस्थिति में बैंक आफ बडौदा एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के मध्य पी0एस0पी0 के सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया।**

इस पी0एस0पी0 की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें देय लाभ/ सुविधाएं चतुर्थ श्रेणी से लेकर वरिष्ठतम अधिकारी तक एक समान है एवं सेवानिवृत्त कर्मियो (70 वर्ष की आयु तक) को भी सम्मिलित किया गया है।

इस एम0ओ0यू0 के प्रमुख अंश निम्नवत है–

- पी0एस0पी0 के अन्तर्गत देय लाभों में सेवारत कर्मचारियों के लिए **स्वाभाविक मृत्यु की दशा में प्रथमबार निःशुल्क जीवन बीमा सम्बन्धी लाभ** सम्मिलित किया गया हैं, जो अधिकतम रू0 20 लाख तक है।
- आन ड्युटी सेवारत कर्मचारियों हेतु व्यक्तिगत दुघर्टना बीमा लाभ–रू0 105 लाख तक तथा प्रथमबार 'आफ ड्युटी' सेवारत कर्मियों के लिए 90 लाख तक का लाभ एम0ओ0यू0 मे सम्मिलित किया गया है तथा सेवानिवृत्त कर्मियों (70 वर्ष तक) हेतु यह लाभ रू0–60 लाख तक है।
- सेवारत कर्मियों को इस एम0ओ0यू0 में स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर रू0–70 लाख तक, स्थायी आंशिक विकलांगता कवर रू0–30 लाख तक एवं सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु यह लाभ क्रमशः रू0–40 लाख तक एवं रू0–15 लाख तक देय है।

➢ इस एम0ओ0यू0 में अन्य लाभों में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों की आश्रित पुत्री की शादी, बच्चों की शिक्षा हेतु बीमा कवर सम्मिलित है।

➢ अन्य लाभों में मृत शरीर के परिवहन, प्लास्टिक सर्जरी/ जलने पर, रिटेल ऋणों में लाभ, एटीएम लेन–देन सम्बन्धी लाभ, डेबिट कार्ड में लाभ, निःशुल्क धन प्रेषण, लाकर्स के किराये मे छूट, निःशुल्क डिमैट वार्षिक रखरखाव आदि सम्मिलित है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20/03/2023 को थाना विजयनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सम्राट चौक के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त फईम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना विजयनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फईम निवासी मोती कालोनी सिकन्दर गेट थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

जनपद महोबा/थाना कबरई

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.03.2023 को थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मकबरई रेलवे क्रासिंग डहर्रा मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त भोला उर्फ बरदानी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना डकोर जनपद जालौन पर पंजीकृत अभियोग धारा 380/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद जालौन से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कबरई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भोला उर्फ बरदानी निवासी मकबरई थाना कबरई जनपद महोबा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना नसीराबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 21.03.2023 को थाना नसीराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गॉधीनगर तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रिंकू उर्फ जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नसीराबाद पर पंजीकृत अभियोग धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद रायबरेली, अमेठी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नसीराबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू उर्फ जितेन्द्र निवासी पूरे हकीम थाना जायस जनपद अमेठी।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 11 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.03.2023 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लेवर चौक के पास से 03 अभियुक्तों 1–राहुल 2– श्रवण 3– संदीप को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 11 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सेक्टर–58 क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा मोबाइल लूट की कई घटनाये कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राहुल निवासी ग्राम टिकाई पुख्ता थाना उसैत जनपद बदायूं वर्तमान पता–खोडा कालोनी थाना खोडा, गाजियाबाद।

2–श्रवण निवासी ग्राम चन्दौस थाना कोतवाली जनपद कासगंज वर्तमान पता–थापर गेट, खोडा कालोनी, गाजियाबाद।

3–संदीप निवासी वार्ड नं0–1 नगर पंचायत सकानू थाना अलाहपुर जनपद बदायूं वर्तमान पता–ग्राम कनावनी थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट/चोरी के 11 मोबाइल फोन।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

<u>जनपद अमेठी/थाना जामो</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 24 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के चाँदी के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 21.03.2023 को थाना जामो पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मवई नहर पुल के पास से अभियुक्त तेज बहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त

के कब्जे चोरी के 24 हजार रूपये नगद, चोरी के चाँदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.01.2023 को थाना जामो क्षेत्रान्तर्गत चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जामो पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जामो पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तेज बहादुर निवासी बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी के 24 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के चाँदी के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि।

जनपद मऊ/थाना सरायलखंसी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **143 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 16 पेटी बियर**
- **01 पिकअप वाहन बरामद**

दिनॉकः 20.03.2023 की रात्रि थाना सरायलखंसी व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकटिया ओबर ब्रिज के पास से 04 अभियुक्तों 1–सुदेश 2–रजनीश कुमार 3–संजय कुमार 4–आदिल महमूद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 143 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 16 पेटी बियर, 01 पिकअप वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुदेश निवासी महेन्द्रवारा थाना महेन्द्रवारा जनपद सीतामढ़ी, बिहार।

2—रजनीश कुमार निवासी बधारी थाना रूनी सैदपुर जनपद सीतामढ़ी, बिहार।

3—संजय कुमार निवासी काली कोटी थाना मुजफ्फरपुर जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार।

4—आदिल महमूद निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

बरामदगी

1—143 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 16 पेटी बियर

2—01 पिकअप वाहन।

➢ **जनपद गोरखपुर/थाना गोला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गोला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—आशुतोष उर्फ छोटई 2—कृपाशंकर 3—छांगुर को आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद जालौन/थाना कुठौन्द (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे स्पे0जज (पॉक्सो एक्ट) जनपद जालौन द्वारा थाना कुठौन्द पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(1) भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुलाब को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला जज कोर्ट जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजेन्द्र को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना हैदरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 31 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–45 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354(बी)/376(डी)/323/504/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामबाबू उर्फ बाबू उर्फ दिनेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 31 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

―――――

दिनांक 21.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 23/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय सोशल मीडिया सेन्टर के पुलिस कर्मियों को लगाया गया पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 21.03.2023 को पुलिस मुख्यालय सोशल मीडिया सेन्टर में कार्यरत पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह लगाया गया तथा प्रशस्ति–पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

इस अवसर पर श्री प्रशान्त कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, श्री एन0 रविन्दर, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।